

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर -302005)

क्रमांक: एफ 4(1)(6)/नपा/रानिआ/09/1891

दिनांक : 18.02.2026

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(नगरपालिका) (कलक्टर) राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन)
मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी

विषय :-नगरपालिका निर्वाचन हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग पर डाक मतपत्रों के मुद्रण हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

नगरपालिका अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से कराये जाने हैं तथा सदस्य पद के निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होने के कारण नगरपालिका निर्वाचनों में सदस्य पद के लिए ही डाक मत पत्रों का मुद्रण करवाया जायेगा।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 4214 दिनांक 24.10.2019 को अधिक्रमित करते हुये नगरपालिका निर्वाचन (सदस्य पद) में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग पर डाक मतपत्रों के मुद्रण हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

- (1) नगरपालिका निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निर्वाचन कराने पर निर्वाचन कर्तव्यरूढ मतदाताओं के लिए मतपत्र की व्यवस्था के संबंध में राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46-क के प्रावधान लागू होते हैं। उक्त नियम 46-क के उप नियम (1) के अनुसार किसी वार्ड का मतदाता यदि उसी वार्ड के किसी मतदान केन्द्र पर निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त हो जाता है, (हालांकि आयोग के निर्देशों के अधीन ऐसी सम्भावना नहीं है) तो उसे विहित प्रक्रिया से प्राप्त ई.डी. सी. (प्ररूप-16) के आधार पर वोटिंग मशीन से ही मत देने की अनुमति दे दी जावेगी, किन्तु जो भिन्न वार्ड या भिन्न नगरपालिका का मतदाता है और वह निर्वाचन ड्यूटी के फलस्वरूप उस मतदान केन्द्र, जहां पर वह मतदान करने का हकदार, है, मतदान नहीं कर सकता है। उसे नियम 46-क के उप नियम (4) में बतायी गयी प्रक्रिया के अनुसार डाक मतपत्र जारी किया जावेगा। उदाहरणार्थ यदि, नगर निगम अजमेर के वार्ड संख्या 2 का मतदाता वार्ड संख्या 22 में किसी मतदान केन्द्र में चुनाव ड्यूटी पर है, या नगर निगम अजमेर के किसी वार्ड का मतदाता केकड़ी या अन्य किसी नगरपालिका में किसी मतदान केन्द्र में चुनाव ड्यूटी पर है तो निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत उसे डाक मतपत्र जारी किया जावेगा।

- (2) यहां आयोग के यह निर्देश भी उल्लेखनीय है कि, नगरपालिका मण्डलों में उस नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले या पदस्थापित कर्मियों को नगरपालिका चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगाया जावे बल्कि आस-पास के क्षेत्रों के कर्मियों को नियुक्त किया जावे। ऐसी परिस्थिति में नगर निगम/परिषदों में डाक मतपत्र की जरूरत हो सकती है, लेकिन नगरपालिका मण्डलों में व्यवहारिक रूप से डाक मतपत्रों को मुद्रित कराने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हालांकि निवारक निरोध में बन्दी व्यक्तियों, यदि कोई हो, को डाक मतपत्र जारी किए जावेंगे।

(3) राजस्थान नगरपालिका अधिनयम, 2009 की धारा 25 दी उप धारा (5) के परन्तुक के उपबंधों के अनुसार उस समय प्रभावशील किसी भी विधि के अधीन निवारक-निरोध में रखे गये व्यक्ति को भी मताधिकार प्राप्त है और ऐसे निवारक-निरोध में रखे गये व्यक्तियों को मतदान की सुविधा प्रदान कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पृथक से आदेश जारी कर उन्हें डाक मतपत्र जारी करने एवं मत अभिलिखित करने की विधि विहित की है। अतः जो व्यक्ति निवारक-निरोध में निरूद्ध है उनके द्वारा अथवा प्राधिकृत अधिकारी (जिसकी अभिरक्षा में वह हैं), के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करने पर उन्हें भी डाक मतपत्र जारी किये जावेंगे।

- (4) उपरोक्त पैराओं में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार डाक मतपत्रों की मुद्रित होने वाली मात्रा जिला स्तर पर ही यथा समय निर्धारित कर ली जावे ताकि मुद्रण कार्य में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हो।
- (5) **निर्वाचन हेतु डाक मतपत्र का डिजाइन एवं प्रविष्टियाँ:-** नियम 46-क के उपनियम (4) के परन्तुक के अनुसार प्रत्येक डाक मतपत्र से प्रतिपर्ण (Counter Foil) संबद्ध होगा तथा डाक मतपत्र और उसका प्रतिपर्ण ऐसे डिजाइन का होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश क्रमांक 572 दिनांक 16.01.2026 सां.आ. (147/2026) के द्वारा डाक मतपत्र और इसके प्रतिपर्ण का डिजाइन विनिर्दिष्ट किया है। मतपत्र के प्रतिपर्ण एवं नीचे के भाग पर उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 2 में अंकित विवरण के अनुसार प्रविष्टियाँ मुद्रित की जानी हैं। इसके साथ ही नोटा सहित अभ्यर्थियों की संख्या 9 से अधिक होने पर उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 13 में अंकित विवरण के अनुसार प्रविष्टियाँ मुद्रित की जानी हैं। सदस्य पद के निर्वाचन हेतु मतपत्रों के नमूना परिशिष्ट 1 एवं 2 संलग्न हैं।
- (6) उपरोक्त पैरा 5 में वर्णित डिजाइन के मतपत्र पर प्रविष्टियाँ हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी। मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नाम उसी रीति एवं क्रम से दर्शित किये जायेंगे जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आये हैं। अभ्यर्थियों के नामों को सूचीबद्ध करने में अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जावेगा अर्थात् प्रथम श्रेणी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी और दूसरी श्रेणी में निर्दलीय अभ्यर्थी आयेंगे। प्रत्येक श्रेणी में अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार आयेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची से जो क्रम अभ्यर्थी का होगा वही क्रम मतपत्र में भी रहेगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, उक्त दोनों श्रेणी का हैडिंग (शीर्षक) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में तो अंकित होगा लेकिन मतपत्र में अंकित नहीं होगा। मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा (इनमें में से कोई नहीं) का विकल्प तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक अंकित किया जावेगा।
- (7) मतपत्र क्रमशः संख्यांकित होंगे और क्रम संख्यायें मतपत्र व इसके प्रतिपर्ण पर सामने की ओर मुद्रित होंगी। चूंकि क्रम संख्यांक मतपत्र व उससे संबद्ध प्रतिपर्ण पर बॉई ओर दो अलग-अलग स्थानों पर मुद्रित होंगे, अतः प्रत्येक वार्ड के मतपत्रों के मुद्रण हेतु दो टाईप हाई नम्बरिंग मशीनों की जरूरत होगी। यह ध्यान रहे कि नम्बरिंग का इंप्रेशन एक समान रहे। नम्बरिंग पांच डिजिट में होगी अर्थात् 00001 से प्रारम्भ होकर अन्त तक जायेगी।
- (8) अभ्यर्थियों को आवंटित किये गये चुनाव प्रतीक एवं नोटा (इनमें में से कोई नहीं) के विकल्प के लिए निर्धारित प्रतीक को मतपत्र पर अभ्यर्थी के नाम के समपार्श्व में (सामने) दर्शित किया जावेगा। मतपत्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें में से कोई नहीं) के विकल्प को आवंटित स्थान समान आकार के होंगे तथा उपलब्ध करवाये गये स्थान को अलग करने वाली काली रेखा या छायांकित क्षेत्र (Shaded Area) मतपत्र पर समान होगी।
- (9) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों की सूची हेतु अधिसूचना आयोग द्वारा सदस्य पद हेतु अपने आदेश क्रमांक 4178 दिनांक 17.10.2025 के द्वारा जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आपको यह सुनिश्चित करना है कि, मतपत्र में उन्हीं चुनाव प्रतीकों को मुद्रित किया जाए जो अधिसूचना में वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चुनाव प्रतीक मुद्रित नहीं किये जावे। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो उसके लिए आपको आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य है। आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों के नमूनों की सॉफ्ट/हार्ड कॉपी पृथक से उपलब्ध करवा दी जायेगी।
- (10) डाक मतपत्र निजी मुद्रणालयों से मुद्रित कराए जाऐंगे। इस संबंध में आयोग द्वारा अपने पत्रांक 652 दिनांक 20.01.2026 द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। निजी मुद्रणालयों में ऑफसेट प्रिंटिंग से डाक मतपत्रों का मुद्रण किया जावेगा, जिसके लिए चुनाव प्रतीकों की सॉफ्टकॉपी आयोग के पत्रांक 4981 दिनांक 19.12.2025 से आपको भिजवाई जा चुकी है।
- (11) मतपत्रों के लिए कागज के सम्बंध में तत्सम आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे। कागज प्राप्त किये जाने के संबंध में आपको पृथक से सूचित कर दिया जायेगा।
- (12) वार्ड सदस्य चुनाव के लिए डाक मतपत्र प्रत्येक वार्ड के लिए भिन्न-भिन्न होंगे जिनकी संख्या भी बहुत कम होगी। यदि इनको स्टीचिंग किया जावे तो यह ध्यान रखा जावे कि, स्टीचिंग प्रतिपर्ण पर

किया जावे लेकिन इससे प्रतिपत्र की कोई प्रविष्टि कटे नहीं। डाक मतपत्र जारी करते समय प्रतिपत्र को मेटल रूल की सहायता से अलग किया जावेगा।

- (13) डाक मतपत्रों का मुद्रण कार्य चुनाव चिन्हों के आवंटन के तुरन्त पश्चात प्रारम्भ कर, दो दिवस में पूर्ण कराया जावे। चूंकि डाक मतपत्रों के लिये आवेदन पत्रों का समय मतदान के कुछ ही दिन पूर्व का रहेगा और डाक मतपत्रों को मुद्रित कराने हेतु ऐसी स्थिति में समयाभाव रहेगा, इसलिए डाक मतपत्र प्राप्त करने वाले मतदाताओं की सही संख्या मुद्रण के समय तक ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः अनुमान के अनुसार ही मुद्रण हेतु डाक मतपत्रों की संख्या निर्धारित कर ली जावे। ऐसी संख्या का निर्धारण रिटर्निंग अधिकारी स्वयं करेंगे। नगरपालिका मण्डलों के लिये डाकमतपत्रों की संभव आवश्यकता ही नहीं रहेगी, फिर भी अंतिम निर्णय, परिस्थितियों का आकलन करते हुये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है।
- (14) निजी मुद्रणालयों पर मतपत्र मुद्रण कार्य के समय सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम रखे जावें।
- (15) मतपत्र मुद्रण के समय खराब हुए मतपत्र और कागज के टुकड़े संबंधित मुद्रणालय पर ही प्रभारी अधिकारी के समक्ष निस्तारित कर दिये जायेंगे। इस संबंध में आयोग द्वारा अपने अधिसूचना क्रमांक 1112 दिनांक 28.01.2026 के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं। मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात मुद्रण कार्य के लिए नियुक्त प्रभारी अधिकारी उपयोग लिये जा सकने वाले मतपत्रों को जांच कर अपनी अभिरक्षा में रखेगा।
- (16) नगरपालिका का कोई भी स्टॉफ मतपत्रों के मुद्रण के कार्य में न लगाया जावे।
- (17) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा के विकल्प के स्थान के नीचे छायांकित क्षेत्र नहीं होगा लेकिन एक मोटी लाईन होगी। नोटा के विकल्प के नीचे स्थान 4 एमएम से ज्यादा नहीं छोड़ा जावेगा। नोटा के विकल्प के नीचे काली मोटी लाईन का होना अति आवश्यक है। कहीं कटिंग में वह कट नहीं जावे, इस बात को ध्यान में रखा जावे। यदि कोई बैलेट जिसकी अंतिम काली लाईन कट गई है या नैचरिंग गलत मुद्रित हुई है या अन्य किसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण पाया जाये तो उस मतपत्र को काम में नहीं लेना है, उसे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण मान लिया जावेगा और उसे हटा दिया जावेगा।
- (18) मतपत्र के मुद्रण में कहीं अशुद्धि नहीं रहे इसके लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को भी सही तरह से तैयार करना है। मतपत्रों के मुद्रण से पूर्व उनके प्रूफ को चेक करना है। इस हेतु आप अधिकृत प्रतिनिधि के साथ पर्याप्त मात्रा में जानकारी स्टॉफ लगावें। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर ही प्रूफ में मतपत्र में अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा और उसी अनुरूप वर्णमाला के क्रमानुसार हो तथा यह ध्यान रखा जाए कि, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक चिन्ह भी अंकित किया जाए। उक्तानुसार प्रूफ की जांच की जाकर इस हेतु लगाये गये अधिकारी/कर्मचारी तथा रिटर्निंग अधिकारी प्रूफ के सही होने की पुष्टि के लिए प्रूफ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे एवं उक्त हस्ताक्षरित प्रूफ की प्रति रिटर्निंग अधिकारी के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जायेगी। तदनुसार ही मतपत्रों का मुद्रण किया जावेगा।

सलग्न - परिशिष्ट 1 एवं 2

भवदीय

(राजेश वर्मा)

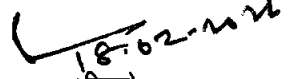
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव,

क्रमांक: एफ 4(1)(6)/नपा/रानिआ/09/1892-1895

दिनांक: 18.02.2026

प्रतिलिपि निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को समस्त संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल कराने एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव

वार्ड 15 / झालरापाटन / सा.नि. / 2026 निर्वाचक नामावली भाग संख्या निर्वाचक की क्रम संख्या No. हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी	
दीपक कुमार	
No.	वार्ड 15 / झालरापाटन / 2026 सा.नि.
दीपक कुमार	
दीपक कुमार	
दीपक कुमार	
दीपक कुमार	
दीपक कुमार	
दीपक कुमार	
दीपक कुमार	
नोटा (इनमें में से कोई नहीं)	

वार्ड 15 / झालरापाटन / सा.नि. / 2026
निर्वाचक नामावली भाग संख्या
निर्वाचक की क्रम संख्या
No.

हस्ताक्षर / अंगुठा निशानी

दीपक कुमार		दीपक कुमार	
No.	वार्ड 15 / झालरापाटन / 2026 सा.नि.		
दीपक कुमार		दीपक कुमार	
दीपक कुमार		दीपक कुमार	
दीपक कुमार		दीपक कुमार	
दीपक कुमार		दीपक कुमार	
दीपक कुमार		दीपक कुमार	
दीपक कुमार		दीपक कुमार	
दीपक कुमार		नोटा (इनमें में से कोई नहीं)	
दीपक कुमार			